- **<u>विधवा पेंशन योजना</u> :–** इस योजना के अन्तर्गत 125 रूपया प्रतिमाह की दर से निराश्रित विधवाओं को विधवा पेंशन प्रदान किया जाता है। इस योजना में ग्रामीण क्षेत्रों में स्वीकृति की कार्यवाही ग्राम सभा की खुली बैठक में तथा शहरी/नगरी क्षेत्रो में जिलाधिकारी द्वारा किया जाता है। लाभार्थी द्वारा ग्राम प्रधान को आवेदन पत्र पेंशन हेतु दिया जायेगा जो मृतक व अपात्र से रिक्त स्थान के पूर्ति हेतु वरीयता के आधार पर कल्याण समिति के माध्यम् से स्वीकृत कर लाभार्थी का आवेदन पत्र जिला प्रोवेशन अधिकारी को भुगतान हेतु उपलब्ध करायेगा। आवेदन पत्र जिला प्रोवेशन कार्यालय/ खण्ड बिकास अधिकारी से प्राप्त किया जा सकता है। इसी प्रकार नगरीय क्षेत्रो में लाभार्थी सीधे फार्म जिला प्रोवेशन अधिकारी को प्राप्त करायेगा। परीक्षणोपरान्त जिला प्रोवेशन अधिकारी द्वारा जिलाधिकारी को स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया जायेगा। स्वीकृति के उपरान्त जिला प्रोवेशन अधिकारी द्वारा धनराशि लाभार्थी के बैंक के खाते में अन्तरित किया जायेगा।

- **विकलांग पेंशन :–** इस योजना में शारिरिक रुप से विकलांग व्यक्तियों जिनकी वार्षिक आय 1000 रूपये से कम है तथा 40 प्रतिशत शारिरिक रुप से विकलांग है, को 125 रूपया प्रतिमाह की दर से पेंशन दिया जाता है। इस योजना के लाभार्थियों के स्वीकृति की कार्यवाही ग्राम सभा की खुली बैठक में किया जाता है तथा शहरी क्षेत्रो में जिलाधिकारी द्वारा स्वीकृति की कार्यवाही की जाती है। आवेदन पत्र जिला विकलांग कल्याण अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी के यहां प्राप्त किया जा सकता है।

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com